

आम-सूचना

“सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत (आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023) का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र.के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता—(1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता— 751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता—102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता—के0ऑफ श्री के.एन.गुप्ता सीनियर एडवोकेट, सरदार आंगरे का बाड़ा, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन क्रमांक 12/2023

संचालक

आम-सूचना

“सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत (उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023) का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र.के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता—(1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता— 751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता—102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता—के0ऑफ श्री के.एन.गुप्ता सीनियर एडवोकेट, सरदार आंगरे का बाड़ा, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन क्रमांक 11/2023

संचालक